सार-समाचार

तीन आरोपियों को सजा सुनाई

डूंगरपुर, (निसं)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के मामले का निस्तारण करते हुए तीन आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार पुलिस लाइन क्वार्टर में निवासरत कांस्टेबल नाथूलाल मीणा ने 27 मार्च 2017 को कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि दोपहर में पुलिस लाइन अपने क्वार्टर की ओर जा रहा था कि पुलिस लाइन के परकोटे के पास तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। जिस पर उसने अकारण बैठने पर फटकार लगाई। फटकार लगाने पर तीनों आरोपी भैरोसिंह पुत्र लोकेंद्र सिंह बाबरी खेड़ा थाना ऋषभदेव, खुमानपुर निवासी चंद्रपाल सिंह पुत्र सज्जन सिंह थाना आसपुर, नागेंद्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी वागदरी हाल जयहिंद नगर थाना कोतवाली ने उसके साथ जमकर मारपीट की तथा पूर्व केंद्रीय विद्यालय जो कि पुलिस लाइन परकोटे के पास स्थित था केंद्रीय विद्यालय के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और उसके जेब से 350 रुपए भी निकाल लिए। इस दौरान पुलिसकर्मी नाथूलाल का दांया पांव भी मारपीट की वजह से टूट गया। उसके चिल्लाने पर विद्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहनलाल और विद्यालय के प्राचार्य आए। साथ ही सूचना मिलते ही कांस्टेबल शंकरलाल, लक्ष्मण, मांथीलाल मौके पर पहुंच गए। साथ ही पुलिस गश्त दल भी मौके पर पहुंचा और उसे चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सा प्रारंभ की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश की गई। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता देखते हुए तीनों आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी एक अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट करने के अलावा अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है।

मारपीट में घायल युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)। मारपीट में घायल युवक की मौत होने पर पुलिस न ऋषभदेव थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषभदेव कस्बे के कानपुर जावर गांव निवासी बाबूलाल (36) पुत्र हूरजी की तबीयत खराब होने पर गत दिनों परिजनों ने उसे उपचर के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर ऋषभदेव थानाधिकारी घनश्याम सिंह देवड़ा ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दिलीप निवासी बिखल के खिलाफ मारपीट करने से बाबूलाल की मौत होने का प्रकरण दर्ज किया। अनुसंधान में पता चला कि 1नवंबर को आपसी कहासूनी होने पर दिलीप ने मारपीट की थी। घटना के कुछ दिनों बाद तबीयत खराब होने पर उसे चिक्तिसालय ले गए थे। इसी तरह सायरा थाना क्षैत्र सेमड गांव निवासी डालकीबाई (70) पत्नी अम्बालाल मेघवाल मंगलवार सांय खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी। जहां बीच रास्ते पिछे आ रही अनियंत्रित बाइक ने उसे टक्कर मार दी थी। इसका पता चलने पर परिजनों ने उसे घायल अवस्था में पदराड़ा चिकित्सालय पहुंचाया। जहां से रेफर करने पर एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर यशवन्तसिंह झाला ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

ट्रेन की चपेट से युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)।शहर के सविना थाना क्षैत्र में ट्रेन की चपेट में आने से मुक बधिर युवक की मौत हो गई। अन्यत्र हादसे में घायल वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनों सविना थाना क्षैत्र महाराज का अखाड़ा रेल्वे ट्रेक पर ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत हो गई। जिसे पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को सविना थाना पुलिस ने एमपीआर दर्ज होने पर परिजन उसे मोर्चरी देखने पहुंचे। जहां परिजनों ने मृतक की विजयसिंह पथकि नगर कच्ची बस्ती सविना निवासी सायर लौहार (31) के रूप में शिनाख्त की। इसी तरह गत दिनों बाइक की चपैट में आने से घायल देबारी निवासी भंवरसिंह देवडा (66)को उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सविना थाना एएसआई नरेश कुमार ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक सायर लौहार मुक बधिर होकर वह घर से निकल गया था तलाश करने पर भी नहीं मिला तो परिजन गुमशुदगी दर्ज कराने थाने गए थे।

मोबाईल लूटने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थाना पुलिस ने चाकू दिखा कर पीडित से मोबाईल लूटने वाले को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 11 नवंबर को पीडित राजु मेघवाल पुत्र तुलसीराम मोरडी घाटसा ने पुलिस थाने में रिपोट्र्दी । जिसमें उसने बताया कि 9 नवंबर रात में सब्जि मण्डी से सविना की तरफ आ रहा था। जहां भौमिया बावजी मंदिर के पास रैल्वे पटरी क्रास पर मिले दो लडके जिन्होंने मुझे रोक दिया तथा चाकू दिखा कर मोबाईल लूट ले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के सुपरविजन में सविना थानाधिकारी राव अजयसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने आरोपी करण ओड़ पुत्र पुत्र उदयलाल ओड़ निवासी विजयसिंह पथिक नगर सविना को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से चाकू बरामद किया। वहीं विधी से संघर्षरत एक बाल अपचारी को डिटेन कर उसके कब्जे से लूटा गया मोबाईल बरामद किया।

युवती ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थाना क्षैत्र में युवती ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इस मामले में युवक के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सवेरे मोनीका (19) पुत्री लक्ष्मण मीणा निवासी हिका बावलवाड़ा हॉल रेती स्टेण्ड ने अपने कमरें में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। मोनीका एसटीसी कर रही थी। इसकी सूचना मिलने पर एएसआई जोरावरसिंह ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मोनिका एसटीसी कर रही थी तथा अपने भाई के साथ रह रही थी। जिसे खेरवाड़ा बडला निवासी करण नामक युवक शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। इसी के चलते उसने फांसी लगा ली। उक्त जानकारी मृतका की बहन सुनिता द्वारा खुलासा कर पुलिस को सूचना कर आरोपी के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज करवाया।

बंधक बना नकदी वसूली

उदयपुर, (कासं)।वल्लभनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीडित का अपहरण कर बंधक बना मारपीट कर अवैध नकदी वसूलने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित चन्द्रशेखर पुत्र दामोदर लाल गोपावत निवासी खरसाण वल्लभनगर ने पुष्करसिंह पुत्र दीपाल खारोल निवासी मैनार व साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि 10 सितंबर सवेरे मैं बाइक पर भटेवर से वल्लभनगर आर हा था। जहां अकरिया चौराहा पर मौजूद आरोपी व साथी अपहरण कर मुझे एक होटल में ले गए। जहां मेरे साथ मारपीट करते हुए अवैध रूप से 50 हजार रूपयों की मांग की। इस पर पिता को बुलवा कर नकदी देने के बाद आरोपी मुझे छोड़ कर फरार हो गए।

टावर से सामान चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर के सुखेर थाना क्षैत्र में स्थित तीन टावरों से चोर सामान चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित सावंतसिंह पुत्र भंवरसिंह सुरक्षाअधिकारी इण्डेक्शन टावर कंपनी ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि सुखेर थाना क्षैत्र प्रतापपुरा,जोशीयों का गुड़ा तथा न्यू आरटीओं क्षैत्र में कंपनी के तीन टावर लगे है। गत दिनों 23 अटक्टूबर को अज्ञात चोर टावरों से आरआरयु,बीबीयु चुरा ले गए।

ट्रेफिक समस्या को लेकर ली बैठक

उदयपुर, (कासं)। शहर की ट्राफिक समस्या को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने ट्राफिक पुलिस की बैठक ली। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बुधवार को शहर के ट्राफिक को लेकर ट्राफिक पुलिस की बैठक ली। जिसमें मौजूद ट्राफिक पुलिस के जवानों ने अपनी निजी समस्या को बताया। जिसे सूनने के बाद जिला पुलिस अधीखक ने शहर की मुख्या समस्या बढते ट्राफिक के कारणों एवं उनके निदान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान शहर में सबसे ज्यादा ट्राफिक रहने वाले पोईंटों पर आवश्यक साधन सुविधा एवं आने वाली समस्या के कारणों एवं उनके निदान, मौके पर लाईट व्यवस्था एवं शहर के विभिन्न टुरिस्ट पोईट पर ट्राफिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक ट्राफिक अशोक आंजना, टीआई सुनिल चारण सहित जवान मौजूद थे।

सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के 302 बूथों पर चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न

उदयपुर, (कासं)। विधानसभा उपचुनाव 2024 के तहत बुधवार को सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। लोकतंत्र के इस मिनी उत्सव के प्रति मतदाताओं ने अपार उत्साह दिखाया। सामान्य प्रेक्षक जे विजयारानी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने क्षेत्र के मतदान बूथों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

गत विधानसभा चुनाव 2023 में सलूम्बर से विधायक चुने गए अमृतलाल मीणा के निधन से रिक्त हुए पद के लिए बुधवार को उपचुनाव के तहत मतदान हुआ। सलूम्बर क्षेत्र में 296 मुख्य तथा 6 सहायक बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ।

- **चुनाव प्रेक्षक जे विजयारानी ने मतदान बूथों पर मॉक पोल का जायजा लिया**

मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल।

इससे पूर्व सुबह 5.30 बजे मॉक पोल (वोटिंग का पूर्वाभ्यास) हुआ ताकि किसी भी प्रकार के तकनीकी व्यवधान को मुख्य मतदान शुरू होने से पहले दूर किया जा सके। क्षेत्र के किसी भी बूथ से किसी प्रकार की समस्या की शिकायत सामने नहीं आई।भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव प्रेक्षक जे विजयारानी ने अलसुबह सलूंबर शहर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मतदान बूथों पर पहुंच कर मॉक पोल का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि सलूंबर सीट के लिए कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदाताओं ने अपना निर्णय ईवीएम में लॉक कर दिया है। मतों की गिनती 23 नवम्बर को होगी।

निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान समय में बढोतरी करते हुए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया था। अलसुबह गुलाबी ठंड के बावजूद मतदान बूथों पर पौ फटने के साथ ही मतदाताओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। अधिकांश बूथों पर सुबह 7 बजे तक पहुंचने वाले मतदाताओं की संख्या दहाई के अंक में देखी गई। दिन खिलने के साथ ही बूथों पर कतारें भी लम्बी होती रही। लोकतंत्र के उत्सव में महिलाओं ने भी बढचढ भागीदारी निभाई। हालांकि सुबह बूथों पर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही,लेकिन दिन चढने के साथ बूथों पर महिलाओं के रैले उमडे 10.11 बजे बाद बूथों पर महिलाओं की संख्या अधिक नजर आई। महिलाएं चूल्हा चौका निपटाकर लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का परिचय देने के लिए बूथों पर पहुंची। सलूम्बर विधानसभा के राउमाविइंटाली खेडा के मतदान बूथ 249 पर गांव की 70 वर्षीय मोगी पटेल और 68 वर्षीय नन्दू बाई खुद चलकर पहुंची और पूरे उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी भागीदारी निभाई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर अरविन्द पोसवाल ने सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र का मैराथन दौरा कर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। पोसवाल सुबह उदयपुर से रवाना होकर जावर, परसाद क्षेत्र के विभिन्न बूथों का अवलोकन करते हुए दोपहर पश्चात जयसमंद क्षेत्र पहुंचे। वहां भी विभिन्न दूरस्थ गांवों में मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण कर अपरान्ह बाद सलूम्बर मुख्यालय पहुंचे। सलूम्बर शहर में स्थित विभिन्न बूथों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही संबंधित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।लोकतंत्र के उत्सव के प्रति बुजुर्गों और दिव्यांगजन का भी खासा उत्साह रहा। उम्र और शारीरिक अक्षमता किसी प्रकार की बाधा नहीं बनी। जिले के तकरीबन हर मतदान केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन का मतदान को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था।

निर्वाचन प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग ने नवाचार किया। इसमें हर बूथ पर प्रथम पांच मतदाताओं से केंद्र पर मतदान कराया गया। आयोग के निर्देशानुसार सभी बूथों पर सबसे पहले मतदान के लिए पहुंचे पांच.पांच मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान केंद्र परिसर में पौधरोपण किया। मतदाताओं के उत्साहवर्धन के लिए विशिष्ट बूथों पर सेल्फी पॉईंट भी बनाए गए। हर आयु वर्ग के मतदाताओं ने मतदान के बाद अंगुली पर लगी अमिट स्याही का निशान दिखाते हुए सेल्फी ली। पहली बार मतदान पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। लोकतंत्र में सकिय सहभागिता के पहले अवसर का युवाओं ने भरपूर उपयोग किया।

होमगार्ड जवान के साथ मारपीट करने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर काम को रोक कार्यवाही करने का एतराज करने पर युवक व उसके परिजनों ने होमगार्ड जवान के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 12 नवंबर को स्वराज नगर माछला मगरा हॉल होमगार्ड जवान मानसिंह ने सूरजपोल पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि पटेल सर्कल पर यातायात पुलिस हेडकांस्टेबल मगनलाल के साथ ड्यूटी करते हुए राजकार्य कर रहा था। इस दौरान वैन चालक बिना सीट बेल्ट लगाये हुए वैन लेकर आया। वैन के आगे की सीट पर एक महिला भी बैठी थी उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। कार को रोक एतराज करने पर पति पत्नी ने निचे उतर कर मेरे साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी तथा अपने पुत्र कुमेल को सूचना दी। इस पर कुमेल लठ्ठ से हमला कर मुझे घायल कर फरार हो गया। इस मामलेमें प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी एसआई दिनेश पाटीदार मय टीम ने मामले में आरोपी सैय्यद जुबेर हुसैन पुत्र सैय्यद मोहब्बत हुसैन निवासी को गिरफ्तार किया। जबकि इस मामले में मुख्या आरोपी सैय्यद जोएब उर्फ कुमेल फरार है। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार सैय्यद मोहब्बत हुसैन उर्फ सैय्यद मोहम्मद हुसैन पुत्र हसल अली तथा खुशबु पत्नी सैय्यद मोहब्बत हुसैन उर्फ सैय्यद मोहम्मद हुसैन को न्यायालय में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया। सैय्यद मोहब्बत हुसैन उर्फ सैय्यद मोहम्मद हुसैन के खिलाफ करीब एक दर्जन अपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसके खिलाफ करीब छह से अधिक अपराधिक प्रकरण विभिन्न पुलिस थानो में दर्ज है। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों से पता चला कि इस मामले में फरार सैय्यद जोएब उर्फ कुमेल की 13 नवंबर को सगाई व शादी होने से परिजन खरीददारी करने के लिए बाजार जा रहे थे। जहां बीच रास्ते में विवाद हो गया। उक्त घटनाक्रम से उसकी शादी नहीं हो पाई।

डॉ.इंद्रप्रकाश श्रीमाली का निधन

उदयपुर, (कासं)। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. इंद्रप्रकाश श्रीमाली का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉ. श्रीमाली ने आकाशवाणी में महत्वपूर्ण सेवाएं दीं और साहित्य, कला से भी गहरे जुड़े हुए थे। उन्होंने क पुस्तकें भी लिखीं, जिससे साहित्यिक जगत में उनकी एक विशिष्ट पहचान थी। उनके निधन से साहित्य प्रेमियों में शोक की गहरी लहर छा गई। डॉ श्रीमाली जी खेती और घर कार्यक्रम के माध्यम से गांव गांव तक विशिष्ट पहचान बनी लंबे समय तक वे इस कार्यक्रम से जुडे रहे एवं कइ फिल्मों में भी अभिनय किया और मंच संचालन का उनका अलग ही अंदाज़ था।

राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कल से

उदयपुर, (कासं)। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा के 15०वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का शुक्रवार को शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी रंगमंच पर आयोजित होगा। निदेशक फुरकान खान ने बताया कि भगवान बिरसा मुण्डा जयंती पर दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव के प्रथम दिन शुक्रवार को देशभर से करीब 150 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।

भगवान बिरसा मुण्डा की जयन्ती पर होंगे विविध आयोजन

उदयपुर, (कासं)। भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयन्ती, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाडा जिला मुख्यालय पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं कानून एवं न्याय व संसदीय मामलात राज्य मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल के आतिथ्य में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत वन क्षेत्रों के विकास हेतु नवीन योजना 'गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना' को प्रारम्भ किया जायेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि कार्यक्रम का विषय 'नवादि युगधारा प्रणेता समागम' होगा जिसमें जनजाति समाज में विशिष्ट उपलब्धि वाले व्यक्तियों-उन्नत किसान, महिला उद्यमी, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशेष पहचान रखने वाले एवं नवाचार कर जनजाति विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रणेता के रूप में पहचान दिलायी जाएगी। इस कार्यक्रम में राजभवन में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।

हिन्दुस्तान जिंक ने उच्च गुणवत्ता व नवाचार के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता

उदयपुर, (कासं)। विश्व गुणवत्ता दिवस के अवसर पर, देश की सबसे बडी और विश्व की दूसरी सबसे बडी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी के व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो में जिंक, लेड और सिल्वर जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं, जो उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित हैं।

हिन्दुस्तान जिंक भारतीय जिंक और लेड उद्योग में पहली ऐसी कंपनी है, जिसने प्रतिष्ठित नेशनल एक्रेडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरिज से प्रमाणित है जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता में वैश्विक मानकों के अनुरूप है। इसके अलावा, कंपनी के जिंक और लेड उत्पादों को लंदन मेटल एक्सचेंज में भी पंजीकृत किया गया है, जो उनके अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के निर्विवाद प्रमाण के रूप में कार्य करता है। कंपनी को 99.99 प्रतिशत शुद्ध सिल्वर के उत्पादन और कच्चे माल के जिम्मेदार सोर्सिंग को

- **हिंदुस्तान जिंक ग्राहकों को उच्च-गुणवत्ता वाले अंतिम उत्पाद विकसित करने में सशक्त बनाता है**

सुनिश्चित कर अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए प्रतिष्ठित लंदन बुलियन मेटल एसोसिएशन से भी प्रमाणन प्राप्त हुआ है।हिन्दुस्तान जिंक के पास आरईएसीएच प्रमाणन भी है, जो यूरोपीय संघ को उत्पादों का निर्यात करने के लिए आवश्यक है।

इन गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए, कंपनी धातु निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग, उन्नत प्रक्रियाओं का लाभ, और गहन अनुसंधान और विकास में निवेश करने के साथ ही विश्व में श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। उत्पाद उत्कृष्टता में लगातार उच्च स्तर को बढाकर, हिंदुस्तान जिंक बदले में अपने ग्राहकों को उच्च-गुणवत्ता वाले अंतिम उत्पाद विकसित करने में सशक्त बनाता है जो बुनियादी ढांचे, इस्पात, ऑटोमोटिव और हाई-टेक विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उद्योगों में विकसित मांगों को पूरा करते हैं।

हिन्दुस्तान जिंक को वैश्विक जिंक उद्योग में सबसे बडे उत्पादों की श्रेणी में अपने व्यापक रेंज के जिंक उत्पादों के लिए एनवायरमेंटल प्रोडक्शन डिक्लेरेशरन अंतराष्ट्रीय सत्यापन भी प्राप्त हुआ है। ईपीडी एक स्वतंत्र सत्यापन है जो उत्पादों के लाइफ साइकिल पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में स्पष्ट और तुलनात्मक जानकारी प्रदान करता है। हिन्दुस्तान जिंक का ईपीडी आईएसओ और ईएन मानकों का अनुपालन करता है और इसमें आईएसओ 14040 और आईएसओ 14044 मानकों के अनुरूप एक लाइफ साइकिल एसेसमेंट अध्ययन शामिल है। एलसीए जिंक उत्पादों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें विनिर्माण, उत्पाद उपयोग और जीवन-काल के अंतिम चरण सहित सभी चरणों के प्रभावों पर विचार किया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि, 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से, भारतीय कंपनियों ने आईएसओ 9000 मानकों को तेजी से अपनाकर लागत दक्षता और वैश्विक गुणवत्ता मानकों में अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। भारत खुद को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, बेहतर गुणवत्ता भारतीय कॉर्पोरेशन्स के लिए भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को बढावा देने का केंद्र बिंदु बन गई है। हिंदुस्तान जिंक के लिये ग्राहक प्रसन्नता हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में है, उत्पाद और सेवा उत्कृष्टता को बढावा देती है। इस विश्व गुणवत्ता दिवस पर, हम अपने व्यवसाय के हर पहलू में कुल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जिंक, लेड और सिल्वर के उत्पादन में विनिर्माण उत्कृष्टता से लेकर खरे मानदंडों तक, हम अपने ग्राहकों को एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढत और बेजोड मूल्य प्रदान करने के लिए हर कदम पर गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

एस.के.फाइनेंस लिमिटेड
(CIN : U65923RJ1994PLC009051)
पंजीकृत कार्यालय: जी 1-2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर- 302001 टोल फ्री: 1800 1039 039 ई-मेल: info@sfkin.in

शाखा कार्यालय स्थानान्तरण करने हेतु सार्वजनिक सूचना

सर्वसूचित किया जाता है कि कम्पनी प्रबंधक के निर्णयानुसार हम अपनी **गोगुंदा शाखा** को नये पते पर स्थानान्तरित कर रहे हैं:-
पुराना पता- ग्राउंड फ्लोर, बाईपास चौराहा, उदयपुर रोड, गोगुन्दा, जिला-उदयपुर-313705 (राजस्थान)
नया पता- ग्राउंड फ्लोर, खसरा नं. 6488, दुकान नंबर 1103, बाईपास प्रताप सर्कल, फिनकेयर बैंक के पास, गांव और तहसील गोगुंदा, जिला-उदयपुर 313705 (राजस्थान)
अतः हम अपने सभी ग्राहकों से अनुरोध करते है कि भविष्य में हमारी किसी भी तरह की लोन सुविधाओं के लिए हमारे नये पते पर संपर्क करें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मंडल, वृत- उदयपुर
क्रमांक : उप आ.आ./वृत-उदय/2024-25/760
दिनांक 04.11.2024

जाहिर आम सूचना
(दौहरा रजिस्ट्री नामान्तरण)

आवास संख्या 3/30 आयवर्ग LIG माप 74.72 वर्ग मीटर योजना प्रतापनगर आवासीय योजना शहर उदयपुर द्वारा श्री ककल मल सिन्धी पुत्र श्री टिलुमल जी को आवंटन पत्रांक 264 दिनांक 27.05.2002 द्वारा आवास का आवंटन किया गया। श्री ककल मल सिन्धी पुत्र श्री टिलुमल जी की मृत्यु दिनांक 11.08.2001 को हो जाने के पश्चात् उनकी पत्नी श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व.श्री ककल मल के नाम कार्यालय के पत्रांक 1610 दिनांक 29.04.2004 द्वारा नाम हस्तान्तरण कार्यालय आदेश जारी किया गया। दिनांक 31.05.2004 को उक्त आवास का कब्जा दिया गया । उक्त आवास का अदेय प्रमाण-पत्र 721 दिनांक 23.06.2008 द्वारा श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व. श्री ककल मल को जारी किया गया एवं प्रथम रजिस्ट्री दिनांक 12.07.2017 को श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व. श्री ककल मल द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित करवाई गई।

पंजीयन उपरान्त श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व. श्री ककल मल ने उक्त आवास का मुख्तियार नामा आम (पंजीकृत) दिनांक 12.07.2017 द्वारा श्री गोवर्धन सिंह राजपूत पुत्र श्री सुखदेव सिंह राजपूत को नियुक्त किया गया। श्री गोवर्धन सिंह राजपूत पुत्र श्री सुखदेव सिंह राजपूत ने मुख्तियार नामा आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 17.07.2017 द्वारा स्वयं श्री गोवर्धन सिंह राजपूत पुत्र श्री सुखदेव सिंह राजपूत को किया गया। कार्यालय के पत्रांक 2478 दिनांक 19.01.2018 द्वारा श्री गोवर्धन सिंह राजपूत पुत्र श्री सुखदेव सिंह राजपूत को नाम हस्तान्तरण कार्यालय आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् श्री गोवर्धन सिंह राजपूत पुत्र श्री सुखदेव सिंह राजपूत ने पुनः उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 30.11.2023 द्वारा हेमलता सालवी पुत्री श्री भगवान लाल सालवी को किया गया। हेमलता सालवी पुत्री श्री भगवान लाल सालवी ने इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास को विक्रय पत्र (पंजीकृत) के आधार पर अपने नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया ।

हेमलता सालवी पुत्री श्री भगवान लाल सालवी ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर दिया जावें ।

अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर - अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण आवास संख्या 3/30, प्रतापनगर आवासीय योजना, उदयपुर का नामान्तरण हेमलता सालवी पुत्री श्री भगवान लाल सालवी के पक्ष में हस्तान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा ।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत- उदयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
(सर्वे एवं निर्माण)

भारत के राष्ट्र पति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य अभियंता (निर्माण), द्वितीय, उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर निम्नलिखित कार्य हेतु ऐसी एजेंसियों से जो निर्धारित अर्हकता पूरी करते हों, उनसे "डबल पैकेट सिस्टम" के अंतर्गत ई – निविदाये आमंत्रित करते हैं । **1. निविदा सूचना संख्या :** बी आई – एन एम एच–टी –04 **2. कार्य का नाम स्थान सहित :** Supplying and stacking 65 MM gauge stone ballast machine crushed (Hard Stone) confirming to RDSO Specification along the cess, including station Yards, disposal of unusable boulders & debris, between Bari Sadri (excl.) from Km. 0.785 to Nimch (excl) Km 46.278 in connection with Bari- Sadri Nimach New line project. **3. कार्य की अनुमानित लागत :** 13,45,77,322.05 **4. जमा की जाने वाली बयाना राशि :** 8,22,900.00 **5. ई– निविदा प्रस्तुत करने की तिथि :** 03.12.2024 को 15.00 बजे तक **6. वेब साईट का विवरण, जहाँ पर ई–निविदा देखी व भरी जा सकती हैं : www.ireps.gov.in 7. कार्यालय ई–मेल का पता :dycec2udz@gmail.com**
1310-CR/24
हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत, उदयपुर
(RHB Office Building पारस तिराहा सेक्टर-11, उदयपुर-313001)
पत्र क्रमांकः- उप आ.आ./वृत-उदय/2024-25/819 दिनांकः-13.11.2024
Registered

-:जाहिर आम सूचना (मृत्यु पश्चात):-

आवास संख्या 1/103 आयवर्ग MIG-B माप 112.50 वर्ग मीटर योजना गोवर्धन विलास आवासीय योजना शहर उदयपुर का श्री संजय गोठवाल पुत्र श्री रामचन्द्र को आवंटन पत्र क्रमांक 9959 दिनांक 31.03.1993 जारी कर दिनांक 03.12.1996 को कब्जा दिया गया।

श्री संजय गोठवाल पुत्र श्री रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 15.03.2017 को हो जाने के पश्चात् उनके पुत्र श्री दिनेश गोठवाल पुत्र स्व. श्री संजय गोठवाल ने कानुनन उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुये उक्त आवास का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु मण्डल में आवेदन किया। मृतक के विधिक वारिसान श्रीमती अनिता देवी पत्नी स्व. श्री संजय गोठवाल, श्री सुनिल गोठवाल पुत्र स्व. श्री संजय गोठवाल एवं श्रीमती ममता पंवार पुत्री स्व. श्री संजय गोठवाल पत्नी श्री राजेश कुमार पंवार द्वारा अपने अधिकारों का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर श्री दिनेश गोठवाल पुत्र स्व. श्री संजय गोठवाल के पक्ष में किया गया। श्री दिनेश गोठवाल पुत्र स्व. श्री संजय गोठवाल ने प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र, हक त्याग पत्र (पंजीकृत) मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर नाम प्रतिस्थापन्न कर दिया जावें।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण आवास संख्या 1/103, गोवर्धन विलास आवासीय योजना, उदयपुर का कानुनी उत्तराधिकारी मानकर श्री दिनेश गोठवाल पुत्र स्व. श्री संजय गोठवाल के पक्ष में हस्तानान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में हक त्याग पत्र (पंजीकृत) के आधार पर दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत- उदयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मंडल, वृत- उदयपुर
क्रमांक : उप आ.आ./वृत-उदय/2024-25/667
दिनांक 30.09.2024

जाहिर आम सूचना (दौहरा रजिस्ट्री)

आवास संख्या 1/383-B आयवर्ग EWS माप 37.35 वर्ग मीटर योजना भुवाणा आवासीय योजना शहर उदयपुर का श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामलाल खटीक को आवंटन पत्र क्रमांक 808 दिनांक 28.06.2007 जारी कर दिनांक 10.08.2007 को कब्जा दिया गया। श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामलाल खटीक ने उक्त आवास का बैचान श्री मोहम्मद आसिफ मन्सूरी पुत्र श्री मोहम्मद मन्सूरी को किया गया। उक्त आवास का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 658 दिनांक 15.05.2013, श्री मोहम्मद आसिफ मन्सूरी पुत्र श्री मोहम्मद मन्सूरी को जारी किया गया एवं प्रथम पंजीयन दिनांक 26.06.2013 द्वारा श्री मोहम्मद आसिफ मन्सूरी पुत्र श्री मोहम्मद भन्सुरी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया।

पंजीयन उपरान्त श्री मोहम्मद आसिफ मन्सूरी पुत्र श्री मोहम्मद मन्सूरी ने उक्त आवास का बैचान विक्रय-पत्र (पंजीकृत) द्वारा दिनांक 26.06.2013 को श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री उमाशंकर खारोल को किया गया। श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री उमाशंकर खारोल ने उक्त आवास का नामान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 2141 दिनांक 23.09.2014 द्वारा श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री उमाशंकर खारोल को कार्यालय आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री उमाशंकर खारोल ने पुनः उक्त आवास का बैचान विक्रय पत्र (पंजीकृत) द्वारा दिनांक 16.08.2024 को श्रीमती जुली सोमानी पत्नी श्री मनोज कुमार सोमानी एवं श्री मनोज कुमार सोमानी पुत्र श्री वल्लभ लाल सोमानी को संयुक्त रूप से किया गया।

श्रीमती जुली सोमानी पत्नी श्री मनोज कुमार सोमानी एवं श्री मनोज कुमार सोमानी पुत्र श्री वल्लभ लाल सोमानी ने प्रार्थना पत्र विक्रय पत्र (पंजीकृत) आवश्यक प्रपत्र मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को संयुक्त रूप से उनके नाम कर दिया जायें।

अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण आवास संख्या 1/383-इ, भुवाणा आवासीय योजना, उदयपुर का नामान्तरण श्रीमती जुली सोमानी पत्नी श्री मनोज कुमार सोमानी एवं श्री मनोज कुमार सोमानी पुत्र श्री वल्लभ लाल सोमानी के पक्ष में संयुक्त रूप से हस्तान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा ।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत- उदयपुर

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
क्रमांक/न.पा.ना./तामीर/2024/12847 दिनांक : 12/11/2024
-:आपत्ती सूचना:-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर भवन निर्माण में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/ पता	आवेदिक सम्पत्ति का विवरण	पड़ौस पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्रीमती राधा देवी तेली पत्नी श्री भगवती लाल तेली	श्री कृष्णा, नगर आवासीय कोलोनी प्रताप सर्किल नाथद्वारा भूखण्ड संख्या 08	कोलोनी का आम रास्ता 30 फिट	भूखण्ड संख्या 11	भूखण्ड संख्या 07	भूखण्ड संख्या 09

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
क्रमांक/न.पा.ना./तामीर/2024/12725 दिनांक : 08/11/2024
-:आपत्ती सूचना:-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर भवन निर्माण में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/ पता	आवेदिक सम्पत्ति का विवरण	पड़ौस पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री गणेश कुमार लोधा पिता श्री बच्चू भाई लोधा	लोधा घाटी, नाथद्वारा,	श्री हरिवल्लभ गुर्जर का मकान	श्री नन्द किशोर लोधा का मकान	श्री लक्ष्मी नारायण लोधा का मकान	श्री भगवान दास लोधा का मकान व रास्ता

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगरपालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
क्रमांक/न.पा.क./भूमि/2024-25/3940 दिनांक: 13.11.24
-:: आपत्ति सूचना ::-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय नगरपालिका कपासन में निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र मय नक्शा व मिल्कीयत सबूत सहित पालिका की भूमि को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड में क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अत: संबंधित को निम्नानुसार स्ट्रीप ऑफ लेण्ड विक्रय किया जाने में किसी व्यक्ति या पास पड़ोसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप से 7 दिवस में पालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर दे, इसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आवेदित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अन्य जारकारी एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अवलोकन किया जा सकता है। "सूचित हो"

क्र. सं.	नाम आवेदक	स्थान	प्रस्तावित क्षैत्रफल (वर्गफीट में)
1.	श्रीमती ताहेरा खान पत्नी श्री सैयद एजाज अली निवासी कपासन	मास्टर कॉलोनी (अध्यापक कॉलोनी) वार्ड नं. 07 कपासन	170.00 वर्गफीट

(प्राधिकृत अधिकारी) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कपासन

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द
सं.5229 **लोक-सूचना** दिनांक :13/11/2024

श्री एकलिंग रेगर पिता श्री दला जी रेगर निवासी राजनगर एवं श्री दीनदयाल पालीवाल पिता श्री हीरालाल पालीवाल निवासी किशोरनगर राजसमन्द राज. द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	किशोरनगर	646, 1141/645	रकबा 0.1133 हैक्टेयर रकबा 0.0770 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13/11/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द